संख्या- 57 /001-1238-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2026

विषय:- मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन ईको फ्रेण्डली कार्यालय की निर्माण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के पत्र संख्या-पी-975/36-बी-8(ग्रीन ईको फ्रेण्डली), दिनांक 17.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 वन एवं वन्य जीव विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन ईको फ्रेण्डली कार्यालय की निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0 12477.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 500.00 लाख (रू० पांच करोड़) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें :-

1. प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हेतु सक्षम संस्था Indian Green Building Council (IGBC) /Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) Council से Pre एवं Post Certification प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही किया जाना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित किया जाये तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तानुसार ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. प्रायोजनान्तार्गत HVAC (Water Cooled Chiller System 450 TR) लागत रू0 584.81 लाख का प्रावधान किया गया है। विभागाध्यक्ष द्वारा Water Cooled Chiller System तथा VRF System की कुल लागत (Capital Cost Electrical Running Cost + Maintenance Cost) का आंकलन वित्त विभाग के शासनादेश सं0-9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000 दिनाक 14.09.2022 के अनुसार करवाते हुए पर्यावरणीय संरक्षण एवं विभागीय आवश्यकतानुसार ग्रीन ईको फ्रेंडली भवन में Water Cooled Chiller System अथवा VRF System का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. प्रायोजना में प्रस्तावित Earth Excavation & disposal विभागाध्यक्ष/ लोक निर्माण विभाग द्वारा ई०पी०सी० कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से Earth Excavation & disposal का कार्य सम्पादित कराये जाने के उपरान्त प्राप्त अतिरिक्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा करा दिया जाये।

4. ग्रीन ईको फ्रेंडली भवन निर्माण हेतु Insulation material for wall construction & roof insulation, Highly efficient glazing, Eco friendly refrigerant, Occupancy Sensors, Timer based automatic external lighting control, Highly efficient LED fixures, इत्यादि Energy efficient features को सम्मिलित किया गया है, जोकि उच्च विशिष्टियों की श्रेणी में आते हैं। अतः प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-177/2023/11845/23-11-2023-773ई/2023 दिनांक 08 जून, 2023 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बो-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

7. प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/ऑडिट का प्रावधान किया गया है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल / ऑडिट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- 2/2026/-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत् संयोजन एवं जल-मन कार्य हेतु निर्माण लागत पर प्रतिशत के आधार पर धनराशि प्रस्तावित की गयी है। चूंकि वर्तमान में मुख्यालय भवन स्थित है, अतः अधिष्ठापित विद्युत् भार एवं अर्बन लिमिट में निर्माण प्रस्तावित किये जाने के दृष्टिगत इन दोनों मदों हेतु फिलहाल एकमुश्त धनराशि अनुमन्य की गई है। उक्त कार्यमदों हेतु वास्तविकता के आधार पर आने वाली धनराशि सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्तर के अनुमोदनोपरान्त देय होगी। इस हेतु प्रायोजना के पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
9. प्रायोजनान्तर्गत ध्वस्तीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अतः ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0-158/2023/993/23-5-23-50 (40) ईजी0/08, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
11. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये।
12. विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभागाध्यक्ष का होगा।
14. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
15. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
16. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
17. प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-पी-975/36-बी-9(ग्रीन ईको फ्रेण्डली), दिनांक 17-06-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निर्गत की जा रही है। अत: उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की त्रुटि/विसंगति हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।
19. उल्लिखित धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। अत: इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. उपरलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० का होगा।

21. एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22.0.3.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

22. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

23. विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगा।

24. विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना की लागत में टाइम ओवर /कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये दिशा-निर्देर्शों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

25. विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

26. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। धनराशि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

27. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक/डिपोजित खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

28. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

29. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

30. प्रायोजना में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित सीमा तक ही जी0एस0टी0 अनुमन्य होगी। विभागाध्यक्ष अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

31. जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा । विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो तथा इसका भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाय ।

32. कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

33. विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
34. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
35. विभागाध्यक्ष द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
36. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोति कार्ययोजना एवं मद में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।स्वीकृत की जा रही धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाक घर नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर स्वीकृत कार्य में व्यय की जायेगी।स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जहाँ तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
37. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर निर्गत तसंबंधी शासनादेशों तथा नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
38. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त व्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
39. प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
40. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
41. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।
42. विभागाध्यक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दम-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4) 75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
43. मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी। कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पीएफएडी के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 060 **लेखा शीर्षक** 4059010510500 मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेन्डली कार्यालय की निर्माण योजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 060 **लेखा शीर्षक** 4059010510500 मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेन्डली कार्यालय की निर्माण योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या अशासकीय संख्या-E-7-19-X-2026-27- दिनांक :17-7-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या- 57(1)/001-1238-81-4-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।